| | |
|---|---|
| 1/3/21 | पत्रावली पेश हुई अप्रार्थीगण/ को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थीगण/ तामील/ वकालतन के बावजूद भी आक्षेप किया है खाता खेवट बिवाद एक पक्षीय |

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू, जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 10:01:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

# फर्द अहकाम

सरकार बनाम जीवण वगैरह

नाम न्यायालय

केस संख्या 134/2016  प्रा.पत्र 177 R.T. Act

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | | कार्यवाही आज के माफी कालीन तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। निरीक्षण प्रार्थी के द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 177 R.T. Act का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसील चौमू पटवार मण्डल सामोद के ग्राम सामोद की जमाबन्दी सं. 2069-72 के अनुसार आराजी ख. नं. 762 रकबा 0.70 हे. किस्म बारानी 2 की कृषि श्री जीवण, अमर सिंह, सागर उर्फ पि. चौकस सिंह, नाथूराम, सीताराम, रामकरण, नरेश, किशन देवी पि. सीताराम हि. 1/4 कोम मीणा निवासी ग्राम सामोद के नाम खातेदारी जमाबन्दी के रूप रिकार्ड में दर्ज होना है। वर्तमान 2069-2072 रकबा 0.2060 उक्त आराजी ख. नं. 762 को कृषि भूमि प्रयोजनार्थ किस्म बारानी 2 को कृषि प्रयोजन हेतु होती है की है कि कृषि प्रयोजन लिया स्वयं अप्रार्थीगण बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना संपरिवर्तन कराये उक्त आराजी खसरा नम्बर का अकृषिक प्रयोजनार्थ कार्य हेतु कर अकृषिक उपयोग में ली जा रही है ... धारा ... कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 10:01:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

# फर्द अहकाम

सरकार बनाम जीवण वगैरह

नाम न्यायालय

केस संख्या 84/2016 प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 177

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | [illegible] |
| --- | --- | --- | --- |
| | | उक्त भूमि ख०नं० 762 का विक्रय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अधीन का प्रकरण बनता है। अतः प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा काश्तकारी अधिनियम 177 राजस्थान स्वीकार कर 1955 के तहत काश्तकार द्वारा [illegible] खातेदार [illegible] कब्जा करने के कारण ग्राम [illegible] ग्राम कलवाड़ के ख०नं० 762 रकबा 0.70 हे० किस्म बारानी 2 में से 2500 व०मी० की खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त भूमि ग्राम कलवाड़ के ख०नं० 762 रकबा 0.70 हे० किस्म बारानी 2 में से 2500 व०मी० भूमि सिवायचक सरकार दर्ज किया जाकर तथा बेदखली की कार्यवाही [illegible] किये जाकर [illegible] की प्रति [illegible] के [illegible] प्रकरण के अभिलेख विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेश से जारी हो चुकी है। [illegible] के [illegible] Signature Not Verified [illegible] के [illegible] ख०नं० 762 [illegible] 0.70 हे० के [illegible] Digitally signed by Abhishek Surana Date: 2021.04.09 10:01:00 IST Reason: SelfAttested [illegible] प्रयोजनार्थ किया [illegible] एवं | |

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला जयपुर

# फर्द अहकाम

सरकार बनाम जीवण वगै.

नाम न्यायालय

केस संख्या 134/2016 प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 177 RT Act

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | | किया अगणीत के औद्योगिक बेवार कजीत लगाकर उपयोग के लिया जा रहा है जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होना प्रमाणित होता है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 712 रकबा 0.70 है. किस्म बारानी-2 मु. ग्राम कोटा मकान तहसील व. जी. कृषि भूमि राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा होकर तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि चौक को आदेश दिये के आगम इत्यादि से राजस्व रिकार्ड के अनुसार कृषि कर सम्बन्धित को बेदखल कर कृषि कर सम्बन्धित को बेदखल करें पालना करावें तदनुसार पालना अवगत करावें। तदबीर तहसीलदार चौक के नाम तहरीर जारी होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेख में जमा किया जाकर निर्णय सुनाया गया। आज दिनांक 01/3/2021 को खुले इजलास सुनाया गया। ह. अधिकारी | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 10:01:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner